

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
बड़जलास - मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 85/22

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी कम अभिहित
अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

- 1 रामबाबू पुत्र सुरजनारायण जाति दर्जी निवासी 6/1 हनुमान बाग कॉलोनी, नागौर तहसील व जिला नागौर।
फर्म:- मैसर्स सूरज ट्रेडिंग कम्पनी 6/1 हनुमान बाग कॉलोनी नागौर।
- 2 महादेव कुमार लाहौटी पुत्र सत्यनारायण निवासी नीम चौक, काकडा नोखा बीकानेर फर्म:-कुबेर डेयरी फूड प्रोडक्ट, एच-1-70 एग्रो ब्लॉक फेज-2 करणी इन्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।
- 3 कुबेर डेयरी फूड प्रोडक्ट, एच-1-70 एग्रो ब्लॉक फेज-2 करणी इन्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।

आदेश

दिनांक :11.02.2023

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 28-07-2022 को मैसर्स सूरज ट्रेडिंग कम्पनी 6/1 हनुमान बाग कॉलोनी, नागौर पर खाद्य पदार्थ वनस्पति (माखन बेस्ट) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1981 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1026/एक्ट/2022/887 दिनांक 05.08.2022 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ वनस्पति (माखन बेस्ट) मिसब्राण्ड एवं सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण रामबाबू पुत्र सुरजनारायण जाति दर्जी निवासी 6/1 हनुमान बाग कॉलोनी, नागौर तहसील व जिला नागौर, महादेव कुमार लाहौटी पुत्र सत्यनारायण निवासी नीम चौक, काकडा नोखा बीकानेर तथा कुबेर डेयरी फूड प्रोडक्ट, एच-1-70 एग्रो ब्लॉक फेज-2 करणी इन्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 18-11-2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 17.01.23 तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने दिनांक 30.01.2023 को अपने जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किये। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से वनस्पति का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया। मैं उक्त वनस्पति मैसर्स कुबेर डेयरी फूड प्रोडक्ट बीकानेर के यहां से खरीदता हूं। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने अपने जवाब में बताया की खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स सूरज ट्रेडिंग कम्पनी 6/1 हनुमान बाग से वनस्पति का सैम्पल लिया था, उक्त वनस्पति मेरी फर्म द्वारा बेचा गया था। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया की भविष्य में वनस्पति (माखन बेस्ट) को बेचते समय ऐसी गलती नहीं करेंगे। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/1026/एक्ट/2022/887 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ वनस्पति (माखन बेस्ट) का नमूना सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 रामबाबू पुत्र सुरजनारायण जाति दर्जी निवासी 6/1 हनुमान बाग कॉलोनी, नागौर तहसील व जिला नागौर पर रूपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 02 महादेव कुमार लाहौटी पुत्र सत्यनारायण निवासी नीम चौक, काकडा नोखा बीकानेर एवं अप्रार्थी संख्या 03 कुबेर डेयरी फूड प्रोडक्ट, एच-1-70 एग्रो ब्लॉक फेज-2 करणी इन्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर पर संयुक्त रूप रूपये 30,000/- अक्षरे तीस हजार रूपये कुल रूपये 40,000/- अक्षरे चालीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (सुरक्षण)